

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

स्मरण पत्र -2

क्रमांक: एफ.7(10) दि.नि./प्रशि./ICDS/2016 74023-55 जयपुर, दिनांक: 1-5-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय:- बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका इत्यादि की प्रशिक्षण सम्बन्धित जानकारी कार्यालय स्तर पर संधारण हेतु।

प्रसंग:- भारत सरकार के पत्र क्रमांक 14-1/2014 TR के अनुसरण में।
विभागीय पत्र क्रमांक 53485-517 दिनांक 03.04.2017 एवं 164147-179
दिनांक 27.10.2017

आईसीडीएस सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण अनिवार्य व महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसी कारण आईसीडीएस कर्मिकों के कार्य प्रारम्भ के समय कार्य प्रशिक्षण, निश्चित समय अन्तराल पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण व विशिष्ट कौशल विकास हेतु कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। केन्द्रीय निगरानी इकाई की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 41% आईसीडीएस कर्मिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित हैं। इसका प्रमुख कारण परियोजना कार्यालय स्तर पर आईसीडीएस कर्मिकों के प्रशिक्षण सम्बन्धित रिकार्ड का यथोचित संधारण नहीं होना है। आपको समय-समय पर मानदेय कर्मियों की प्रशिक्षण सम्बन्धित जानकारी राजपोषण पर अद्यतन करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

पूर्व में भी उप निदेशक व परियोजना कार्यालय स्तर पर आईसीडीएस कर्मिकों के प्रशिक्षण सम्बन्धित जानकारी संधारण करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप आपको उपलब्ध करवाया जा कर निर्देश दिये गये थे कि अनिवार्यतः प्रारूपानुसार जानकारी संधारण करना सुनिश्चित करें व पालना रिपोर्ट निदेशालय भिजवाएं। यह सूचना आज तक अप्राप्त है।

आपको प्रपत्र प्रारूप पुनः email द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। अतः वांछित सूचना माह मई 2018 तक सॉफ्ट कॉपी में ddt.icds@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें। विलम्ब की स्थिति में आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे एवं आपके विरुद्ध विभागीय नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।


संलग्न :- प्रपत्र उपरोक्तानुसार


आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(10) दि.नि./प्रशि./ICDS/2016 74056-360 जयपुर, दिनांक: 1-5-18

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजकर लेख है कि आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करे एवं सूचना निदेशालय प्रेषित करावें।
2. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को लेख है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।


उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

